डॉ0 एन0 सरवण कुमार, जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–04.03.2013 को आयोजित समाहरणालय, पटना के विभिन्न शाखाओं के कार्यों के साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. जिला पदाधिकारी, पटना।
2. उप विकास आयुक्त, पटना।
3. अपर जिला दण्डाधिकारी, सामान्य, पटना।
4. अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, पटना।
5. निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पटना।
6. स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना।
7. वरीय उप समाहर्त्ता, विधि शाखा, पटना।
8. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना।
9. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।
10. प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग, पटना।
11. प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनगणना कोषांग, पटना।
12. वरीय उप समाहर्त्ता, प्रभारी आपदा प्रबंधन शाखा, पटना।
13. जिला योजना पदाधिकारी, पटना।
14. कार्यालय अधीक्षक, सामान्य, पटना।
15. सभी शाखा के प्रधान सहायक, पटना जिला।
16. आई0टी0 मैनेजर, पटना जिला।

सामान्य निदेश :–

1. आयुक्त एवं विभिन्न विभाग को भेजे जानेवाले प्रतिवेदन को ससमय भेजने का निदेश उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
2. मुख्यमंत्री जन शिकायत, जन शिकायत, जनता दरबार से संबंधित मामले, माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0, अवमानना वाद एवं लोकायुक्त तथा मानवाधिकार से संबंधित लंबित सभी मामलों में उच्चतम् प्राथमिकता देते हुए निष्पादन अविलम्ब करने का निदेश उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
3. जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गोपनीय शाखा से निर्गत पत्र संख्या–2293/सी0 दिनांक–02.03.2013 में दिए गए निदेश के आलोक में ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. उप विकास आयुक्त, पटना द्वारा सुझाव दिया गया कि बिहार दिवस की तरह पटना जिला दिवस मनाने हेतु एक तिथि का निर्धारण करने हेतु कला एवं संस्कृति विभाग से पत्राचार किया जाय।

समीक्षोपरान्त निम्न निदेश दिये गये :–

1. जिला विधि शाखा :–

एम0जे0सी0 के कुल 135 मामले लंबित पाए गए। जिसे अविलम्ब निष्पादन हेतु निदेश दिया गया तथा यह भी निदेश दिया गया कि सभी लंबित मामलों का डाटा बेस तैयार किया जाय साथ हीं जो भी आदेश प्राप्त होते है। उसे वेबसाईट पर डाला जाए।

2. जिला कल्याण शाखा :–

I. मुख्यमंत्री मेद्यावृत्ति एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पचपन हजार (55000) मामले ऑन लाईन प्राप्त हुए है, जिसे डाउनलोड किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि ये कार्य कबतक समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में इनके द्वारा सही जवाब नही देने के कारण इनसे कारण पृच्छा की माँग की गयी।

II. रोकड़ पंजी के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा पृच्छा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि उनके यहाँ पूर्व के पदाधिकारी द्वारा प्रभार नही सौंपा गया है। जिसके कारण कैश बुक अद्यतन नही हो पा रहा है एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर मेरे द्वारा प्रभार प्राप्त करने के पश्चात रोकड़ पंजी का संधारण किया जा रहा है। इस संबंध में भी इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नही देने के कारण मामला को गम्भीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त को एक माह के अंदर कल्याण शाखा का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

3. जिला लेखा शाखा :–

जिला लेखा शाखा के प्रधान लिपिक ने बताया कि जो भी सेवापुस्त लेखा के सत्यापन हेतु प्राप्त होता है, उसे सत्यापित कर संबंधित कार्यालय को हस्तगत करा दिया जाता है। निदेश दिया गया कि सत्यापन करने के उपरान्त इसकी सूचना दूरभाष द्वारा संबंधित कार्यालय को तत्काल दे दी जाए ताकि ससमय संबंधित कार्यालय में सेवापुस्त उपलब्ध हो सके।

4. जिला सामान्य शाखा :–

I. समीक्षा के दौरान पाया गया कि राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मियों का चरित्र सत्यापन से संबंधित बहुत से मामले वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित मामलों का डाटा बेस तैयार कर लिया जाए। इसके लिए एक प्रपत्र तैयार कर अनुमोदन करा लिया जाए।

II. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा राहत कोष के पचास (50) मामले लंबित है, जिसका डाटा बेस भी तैयार कर लिया जाए।

III. पटना जिलान्तर्गत छः सौ छियासी (686) चौकीदार कार्यरत है। उन्हें ससमय वेतन प्राप्त हो इसके लिए सभी अंचलों को ससमय आवंटन उपलब्ध करा दिया जाए तथा संबंधित ट्रेजरी से सी0टी0एम0आई0एस0 के अंतर्गत प्रत्येक माह में प्रतिवेदन माँगी जाए कि चौकीदारों के वेतन का भुगतान कब तक किया गया है।

5. <u>जिला शस्त्र शाखा</u> :–

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित अड़तीस सौ (3800) आवेदन पत्र प्रतिवेदन के अभाव में लंबित है। इसका भी डाटा बेस तैयार कर लिया जाए, साथ ही शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित आयुक्त न्यायालय से प्राप्त मामले पर एक तिथि निर्धारित कर उसे अविलंब निष्पादित करने की कार्रवाई की जाए।

6. <u>जिला पंचायत शाखा</u> :–

समीक्षा के दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत सरकार भवन के पैंतीस (35) मामले प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अभाव में लंबित होने के कारण प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को नही भेजा जा सका है। निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के बैठक में मामले को रखकर निष्पादित करा लिया जाय।

7. <u>जिला भू–अर्जन कार्यालय</u> :–

जिला भू–अर्जन कार्यालय में संधारित रोकड़ बही को अद्यतन करने एवं बैंक रिकैन्सिलेशन से मिलान करते हुए अद्यतन किया जाय।

8. <u>जिला लोक सूचना कोषांग</u> :–

समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि लोक सूचना से संबंधित मामले अविलम्ब निष्पादित किया जाए तथा श्री अजीत कुमार, नगर परिषद्, फतुहां से संबंधित आदेश प्राप्त होते ही उसपर अविलम्ब कार्रवाई की जाए।

9. <u>जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग</u> :–

समीक्षा के दौरान प्रधान लिपिक ने बताया कि राशि के अभाव में मसौढ़ी नगर परिषद् का पेंशन नही बटा है। जहाँ राशि उपलब्ध करा दी गयी है, वहाँ एक–दो दिनों के अंदर पेंशन वितरित करा दिया जाएगा। निदेश दिया गया कि पेंशन अविलम्ब बटवाना सुनिश्चित करें।

10. <u>जिला विकास शाखा</u> :–

समीक्षा के दौरान पाया गया कि विकास शाखा का रोकड़ बही 02.03.2013 तक अद्यतन है, परन्तु बैंक रिकैन्सिलेशन द्वारा 05.01.2013 तक ही मिलान की गयी है। निदेश दिया गया कि बैंक रिकैन्सिलेशन अद्यतन प्राप्त कर मिलान करते हुए रोकड़ बही अद्यतन किया जाए।

11. <u>जिला योजना शाखा</u> :–

जिला योजना पदाधिकारी ने बताया कि सेतु निर्माण से संबंधित छः करोड़ निन्यानवें लाख (69900000/–) रूपये का डी0सी0 विपत्र निष्पादित कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि महालेखाकार कार्यालय जाकर पता कर लें कि उनके द्वारा डी0सी0 विपत्र को निष्पादित कर दिया गया है या नही।

12. <u>जिला स्थापना शाखा</u> :–

I. अनुकम्पात्मक नियुक्ति के मामले में निदेश दिया गया कि कोई भी नया मामला बिना चेक लिस्ट के विभाग द्वारा भेजे जाने पर उसे प्राप्त नही किया जाय।

II. विभागीय जाँच से संबंधित बाईस (22) लंबित मामलों के संबंध में निदेश दिया गया कि जाँच प्रतिवेदन अविलम्ब भेजने हेतु संचालन पदाधिकारी को स्मारित किया जाय।

12. <u>जिला जन शिकायत कोषांग</u> :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जनशिकायत कोषांग द्वारा विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई नही की जा रही है। जन शिकायत पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को ही भेज दिया जा रहा है। उनके द्वारा उल्लेखित बातों से स्पष्ट होता है कि प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर ए0टी0आर0 एवं0 ए0टी0एल0 पर कार्रवाई नही की जा रही है। उन्हें चेतावनी देते हुए निदेश दिया गया कि जन शिकायत कोषांग से संबंधित मामले में नियम का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक–XVI-1113-619 /स्था0, पटना, दिनांक– 8/3/13

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, पटना/अपर समाहर्त्ता, पटना/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/नगर दण्डाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्त्ति, पटना/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0 आर0डी0ए0, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, पटना/स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना/नजारत उप समाहर्त्ता, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला योजना शाखा, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पटना/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बैंकिंग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, अभिलेखागार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनगणना कोषांग, पटना/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना/उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना/सभी शाखा के प्रधान सहायक, पटना जिला/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम पत्र शाखा, पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना एवं जिला लेखा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।